प्रकाशन के लिए अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायलय, बिलासपुर

खंड पीठ - माननीय न्यायमूर्ति श्री टी पी शर्मा,

श्री आर एन चंद्राकर न्यायमूर्तिगण

दा०अ० क्र०. 721/2007

रामधार निषाद एवं अन्य

बनाम

छ.ग राज्य एवं अन्य

विचारार्थ प्रस्तुत |

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

श्री आर एन चंद्राकर न्यायमूर्ति मैं सहमत हूँ |

सही/-

टी पी शर्मा

न्यायमूर्ति

सही/-

आर एन चंद्राकर

न्यायमूर्ति

निर्णय की उद्धोषणा हेतु प्रकरण दिनांक 09/11/2021 को सूचीबद्ध करे

सही/-

टी पी शर्मा

न्यायमूर्ति

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायलय, बिलासपुर

युगल पीठ - न्यायमूर्ति श्री टी पी शर्मा,

श्री आर एन चंद्राकर न्यायमूर्तिगण

दा०अ० क्र०. 721/2007

अपीलकर्ता (न्यायिक अभिरक्षा में):

1. **रामाधर निषाद, आयु लगभग 32 वर्ष, पिता– प्यारेलाल निषाद**
2. **ओमप्रकाश, आयु लगभग 27 वर्ष, पिता– प्यारेलाल निषाद**
3. **गिरवर, आयु लगभग 32 वर्ष, पिता– द्वारिका प्रसाद**

सभी निवासी— ग्राम लभांडी, थाना तेलीबांधा, तहसील एवं जिला रायपुर (छ.ग.)

बनाम

प्रत्यर्थी : **छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा थाना तेलीबांधा, रायपुर**

दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 374(2) के अंतर्गत दायर दांडिक अपील)

अपीलार्थीगण की ओर से : श्री सोमनाथ वर्मा, अधिवक्ता |

राज्य/प्रत्यर्थी की ओर से : श्री जे. ए. लोहानी, पैनल अधिवक्ता |

निर्णय

(दिनांक 9 नवम्बर, 2011 को पारित)

न्यायालय का निम्नलिखित निर्णय माननीय श्री न्यायमूर्ति टी. पी. शर्मा द्वारा पारित किया गया—

1. वर्तमान अपील में चुनौती तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश, रायपुर द्वारा सत्र प्रकरण क्रमांक 408/2006 में दिनांक 30.04.2007 को पारित दोषसिद्धि के निर्णय एवं दण्डादेश के

विरुद्ध है, जिसके द्वारा माननीय तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश ने अपीलार्थीगण को सामान्य आशय में दशरथ की हत्या की कोटि में आने वाले सदेशक मानववध कारित करने तथा गौतम बाई एवं महेश की हत्या का प्रयास करने का दोषी ठहराते हुए भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302/34 एवं 307/34 के अंतर्गत दोषसिद्ध किया तथा उन्हें आजीवन कारावास एवं ₹1,000/- (एक हजार रुपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया। अर्थदण्ड अदा न किए जाने की दशा में तीन माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास तथा धारा 307/34 के अंतर्गत पाँच वर्ष का सश्रम कारावास एवं ₹500/- (पाँच सौ रुपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया, जिसके अर्थदण्ड का भुगतान न किए जाने की दशा में हत्या के प्रत्येक प्रयास के लिए दो माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतने का आदेश दिया गया।

2. दोषसिद्धि को इस आधार पर चुनौती दी गई है कि अभिलेख पर किसी भी प्रकार के साक्ष्य के अभाव में विचारण न्यायालय द्वारा अपीलार्थीगण को उपर्युक्तानुसार दोषसिद्ध एवं दण्डित किया गया है, इस प्रकार अनैवता करीत की है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3. अभियोजन पक्ष के अनुसार, दिनांक 06.08.2006 को रात्रि लगभग 9.00 बजे दशरथ (अब मृतक) भोजन करने हेतु अपने घर जा रहा था। उसी समय अपीलकर्ता दद्दू उर्फ़ ओमप्रकाश एवं गिरवर उसके पास आए और उससे कहा कि वे उसका घर जला देंगे। जब दशरथ अपने घर में प्रवेश कर रहा था, तब अपीलकर्ता गिरवर एवं दद्दू उर्फ़ ओमप्रकाश ने महेश एवं गौतमबाई के ऊपर पेट्रोल डाल दिया और आग लगा दी गई, जिसे किसी तरह उन्होंने उसे बुझाया। अपीलकर्ता रामाधर भी घटना स्थल के पास खड़ा था तथा उसके पास मोटरसाइकिल थी। इसके पश्चात तीनों अभियुक्त घटना स्थल से फरार हो गए। घायल महेश (अभि. सा..-8) थाना तेलीबांधा गया और प्रथम सुचना रिपोर्ट. प्रदर्श पी/10 के माध्यम से रिपोर्ट दर्ज कराई। घायलों को चिकित्सीय परीक्षण हेतु डॉ. अंबेडकर अस्पताल, रायपुर भेजा गया, जहाँ उनका परीक्षण प्रदर्श पी/14, पी/15 एवं पी/16 के अंतर्गत किया गया। डॉ. नीता कर्णावत (अभि. सा..-17) ने प्रदर्श पी/28, पी/29 एवं पी/30 के माध्यम से दशरथ, महेश एवं गौतम बाई के शरीर पर आग से उत्पन्न सतही जलने की चोटें पाई। आगे के उपचार हेतु उन्हें अस्पताल के बर्न यूनिट में भर्ती किया गया। उपचार के दौरान, घटना के दूसरे दिन दिनांक 07.08.2006 को दशरथ (अब मृतक) ने नायब तहसीलदार प्रणव सिंह (अभि. सा..-19) के समक्ष अपना मृत्युकालीन कथन प्रदर्श पी/32 के अंतर्गत

दिया, जिसमें उसने कहा कि अपीलकर्ता दद्दू एवं गिरवर ने उसके ऊपर, उसके पुत्र तथा पत्नी पर पेट्रोल डालकर उन्हें आग लगा दी। उपचार के दौरान दिनांक 12.08.2006 को रात्रि लगभग 6.20 बजे दशरथ की मृत्यु हो गई। मृत्यु का मेमो प्रदर्श पी/31 के अंतर्गत दर्ज किया गया। साक्षियों को बुलाकर मृतक दशरथ के शव का पंचनामा प्रदर्श पी/5 के अंतर्गत तैयार किया गया। तत्पश्चात शव को शवपरीक्षण हेतु डॉ. अंबेडकर अस्पताल भेजा गया, जहाँ डॉ. विकास कुमार ध्रुव (अभि. सा..-21) ने प्रदर्श पी/34 के अंतर्गत शवपरीक्षण किया और शरीर पर अनेक जलने की चोटें पाई गईं। मृत्यु का कारण जलने के परिणामस्वरूप उत्पन्न कार्डियो-रेस्पिरेटरी फेल्योर बताया गया। जांच के दौरान, मृतक दशरथ के पुत्र मान सिंह से पेट्रोल की गंध वाले जले हुए कपड़ों के टुकड़े जप्त किए गए, जिसका मेमो प्रदर्श पी/2 के अंतर्गत तैयार किया गया। इसके अतिरिक्त, मृतक के घर से सटे नाले से पेट्रोल युक्त एक बोतल जप्त की गई, जिसका मेमो प्रदर्श पी/3 के अंतर्गत है। विवेचना अधिकारी द्वारा घटना स्थल का नक्शा प्रदर्श पी/11 के अंतर्गत तैयार किया गया। पटवारी द्वारा भी स्थल नक्शा प्रदर्श पी/7 के अंतर्गत तैयार किया गया। अपीलकर्ता गिरवर एवं रामाधर से दो मोटरसाइकिलें जप्त की गईं, जिनकी जप्ती पत्रक प्रदर्श पी/12 एवं प्रदर्श पी/13 के अंतर्गत तैयार की गई। मोटरसाइकिलों के दस्तावेज शंकरलाल से प्रदर्श पी/14 के अंतर्गत जप्त किए गए। मृत्युकालीन कथन दर्ज किए जाने से पूर्व, डॉक्टर से प्रदर्श पी/17 के माध्यम से अनुरोध किया गया, जिस पर डॉक्टर द्वारा यह प्रमाणित किया गया कि दिनांक 07.08.2006 को दशरथ बयान देने हेतु स्वस्थ मानसिक अवस्था में था। इसके पश्चात उसका कथन दर्ज किया गया। जप्त सामग्री को रासायनिक परीक्षण हेतु प्रदर्श पी/23 के अंतर्गत भेजा गया|

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. गवाहों के बयान दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (संक्षेप में 'संहिता') की धारा 161 के अंतर्गत दर्ज किए गए। विवेचना पूर्ण होने के पश्चात अभियोग पत्र अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, रायपुर के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जिन्होंने उक्त मामला सत्र न्यायालय, रायपुर को उपार्पित किया, जहाँ से माननीय तृतीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, रायपुर द्वारा विचारण हेतु अंतरण पर प्राप्त किया गया।

5. अभियुक्तों/अपीलार्थीगण के दोष को सिद्ध करने हेतु अभियोजन पक्ष ने कुल 21 गवाहों का परीक्षण किया। अभियुक्तों/अपीलार्थीगण के बयान दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा

313 के अंतर्गत दर्ज किए गए, जिनमें उन्होंने अपने विरुद्ध प्रस्तुत परिस्थितियों से इनकार करते हुए स्वयं को निर्दोष बताया तथा अपराध में झूठा फंसाए जाने का अभिवाक किया। अभियुक्तों द्वारा बचाव पक्ष में गवाह ओमप्रकाश यादव (ब. सा. -1) एवं भीखमचंद कुर्रे (ब. सा. -2) का परीक्षण कराया गया, जिन्होंने बयान दिया कि घटना के समय कुछ अज्ञात व्यक्ति मृतक दशरथ तथा घायल महेश एवं गौतम बाई से झगड़ा कर रहे थे और अचानक उन्होंने दशरथ, महेश तथा गौतम बाई के शरीर से आग की लपटें उठती देखीं। तत्पश्चात वे अपने घर की ओर भागे और घर के अंदर चले गए। उन्होंने यह भी बताया कि उन्होंने शराब का सेवन किया हुआ था तथा शराब पीने के बाद वे प्रायः आसपास के निवासियों से झगड़ा करने के आदी थे। घटना के पश्चात मृतक दशरथ का पुत्र मान सिंह भीखमचंद कुर्रे (ब. सा. -2), जो पेशे से ऑटो चालक है, के पास आया, जिसके बाद वह घायलों को थाना तेलीबांधा एवं अस्पताल लेकर गया। पूछे जाने पर दशरथ ने पुलिस को बताया कि उसे नहीं पता कि किसने आग लगाई है। इसी प्रकार, महेश (अभि. सा.-8) ने भी पुलिस को बताया कि उसे यह जानकारी नहीं है कि किसने उन्हें आग लगाई, परंतु उनका किसी व्यक्ति से पुराना वैमनस्य था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

6. पक्षकारों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात, माननीय तृतीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, रायपुर द्वारा अपीलार्थीगण को पूर्वोक्त अनुसार दोषसिद्ध कर दण्डित किया गया।

7. हमने पक्षकारों के विद्वान् अधिवक्ता को सुना तथा विचारण न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय एवं अभिलेखों का अवलोकन किया।

8. अपीलार्थीगण की ओर से विद्वान् अधिवक्ता ने जोरदार तर्क प्रस्तुत करते हुए कहा कि दोषसिद्धि केवल स्वार्थग्रस्त, शत्रुतापूर्ण एवं रिश्तेदार गवाहों महेश (अभि. सा.-8) तथा गौतम बाई (अभि. सा.-9) के साक्ष्य पर आधारित है। यद्यपि वे आहत साक्षी हैं तथा घटना स्थल पर उनकी उपस्थिति संदेह से परे है, किंतु मात्र उनकी उपस्थिति अपीलार्थीगण को दोषसिद्ध करने हेतु पर्याप्त नहीं है, जब तक कि उनके कथनों का स्वतंत्र साक्ष्य से समर्थन न हो। महेश (अभि. सा.-8) एवं गौतम बाई (अभि. सा.-9) के साक्ष्य के अनुसार उन्होंने घटना होते हुए नहीं देखी तथा उनके बयान आपस में पूर्णतः विरोधाभासी हैं। उनके साक्ष्य के अनुसार, मृतक दशरथ 7.8.2006 को बयान देने की स्थिति में नहीं था। उसका कथित मृत्युकालीन कथन प्रदर्श पी/32 संदिग्ध प्रतीत होता है। गवाहों के साक्ष्य से यह भी स्पष्ट

होता है कि अपीलार्थीगण द्वारा इतनी क्रूर चोट पहुंचाने का कोई कारण (उद्देश्य) नहीं था तथा पूर्व में कोई शत्रुता भी नहीं थी। ऐसी परिस्थितियों में मात्र संदेह के आधार पर अपीलार्थीगण को दोषसिद्ध नहीं किया जा सकता।

9. दूसरी ओर, राज्य/प्रत्यार्थी की ओर से विद्वान् पैनल अधिवक्ता ने अपील का विरोध करते हुए तर्क दिया कि दोषसिद्धि मृतक दशरथ द्वारा कार्यपालिक मजिस्ट्रेट प्रणय सिंह (अभि. सा.-19) के समक्ष दिए गए मृत्युकालीन कथन प्रदर्श पी/32 तथा आहत साक्षी महेश (अभि. सा.-8) एवं गौतम बाई (अभि. सा.-9) के साक्ष्य पर आधारित है, जिनकी घटना स्थल पर उपस्थिति संदेह से परे है। यद्यपि ये गवाह रिश्तेदार हैं, तथापि मात्र रिश्तेदारी या संभावित शत्रुता के आधार पर उनकी उपस्थिति को नकारा नहीं जा सकता। उनके साक्ष्य को स्वीकार करने से पूर्व केवल सूक्ष्म परीक्षण की आवश्यकता होती है।

10. पक्षकारों की ओर से प्रस्तुत तर्कों का मूल्यांकन करने हेतु, हमने दोनों पक्षों की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों का परीक्षण किया है।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

11. वर्तमान प्रकरण में, दशरथ की जलने से हुई मृत्यु तथा महेश एवं गौतम बाई को लगी जलन की चोटों के संबंध में अपीलार्थीगण की ओर से कोई ठोस विवाद नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त, बचाव पक्ष के गवाह ओमप्रकाश यादव (ब. सा. -1) एवं भीखमचंद कुर्रे (ब. सा. -2) द्वारा भी स्वयं यह स्वीकार किया गया है कि घटना के समय मृतक एवं घायलों को जलने की चोटें आई थीं। इसके अलावा, यह तथ्य डॉ. नीता कर्णावत (अभि. सा.-17) के साक्ष्य, चिकित्सकीय प्रतिवेदन प्रदर्श पी/28, प्रदर्श पी/29 एवं प्रदर्श पी/30, डॉ. शरद गेरवाल (अभि. सा.-20) के चिकित्सकीय प्रतिवेदन प्रदर्श पी/33, डॉ. विकास कुमार ध्रुव (अभि. सा.-21) के साक्ष्य तथा शव परीक्षण प्रतिवेदन प्रदर्श पी/34 से भी सिद्ध होता है कि महेश एवं गौतम बाई के शरीर पर जलने की चोटें पाई गई थीं तथा मृतक दशरथ की मृत्यु जलने की चोटों एवं उससे उत्पन्न जटिलताओं के परिणामस्वरूप हुई थी।

12. अपराध में अपीलार्थीगण की संलिप्तता के संबंध में, दोषसिद्धि मुख्यतः कार्यपालिक मजिस्ट्रेट प्रणव सिंह (अभि. सा.-19) के समक्ष मृतक दशरथ द्वारा दिए गए मृत्युकालीन कथन प्रदर्श पी/32 तथा आहत साक्षी महेश (अभि. सा.-8) एवं गौतम बाई (अभि. सा.-9) के साक्ष्यों पर आधारित है। महेश (अभि. सा.-8) ने अपने साक्ष्य में कहा है कि घटना के समय तीनों अपीलकर्ता उसके घर के पास आए, उन्होंने उसके पिता दशरथ को घर से

बाहर बुलाया, वे सभी घर से बाहर आए। तत्पश्चात अपीलकर्ता रामाधर ने अपने छोटे भाई अर्थात अपीलकर्ता ओमप्रकाश से उन पर पेट्रोल डालने के लिए कहा, जिसके पश्चात उन्होंने उन पर पेट्रोल डाला। इसके बाद अपीलकर्ता गिरवर ने उन पर आग लगा दी, जिससे वह अचेत हो गया। बाद में उसे होश आया, तब वह पुलिस थाना गया और प्रदर्श पी/10 के माध्यम से प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई। उनका चिकित्सकीय उपचार किया गया। अन्य आहत साक्षी गौतम बाई (अभि. सा.-9) ने महेश (अभि. सा.-8) के साक्ष्य का पर्याप्त रूप से समर्थन किया है।

13. बचाव पक्ष द्वारा इन गवाहों से विस्तृत प्रति परिक्षण किया गया, जो अभियुक्तों की उपस्थिति, किसके द्वारा पेट्रोल डाला गया, किसने आग लगाई, घटना स्थल कहाँ था तथा उन्हें जलने की चोटें कहाँ प्राप्त हुईं—इन तथ्यों से संबंधित है। यद्यपि उनके बयानों में उपर्युक्त तथ्यों के संबंध में कुछ विरोधाभास पाए जाते हैं, तथापि उक्त विरोधाभासों को ओमप्रकाश यादव (ब. सा. -1) के साक्ष्य द्वारा दूर कर दिया गया है, जिनके कथन से यह प्रकट होता है कि तीनों घायल अपने घर के सामने उपस्थित थे और अचानक उन्होंने अपने शरीर से आग की लपटें उठती हुई देखीं, तत्पश्चात वे दौड़ पड़े अपने घर की ओर दौड़े। इससे यह स्पष्ट होता है कि तीनों व्यक्तियों को उनके घर के सामने ही आग के हवाले किया गया था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

14. मृत्युकालीन कथन प्रदर्श पी/32 के अनुसार, जब मृतक दशरथ अपने घर में प्रवेश कर रहा था, उसी समय उस पर, उसके पुत्र तथा उसकी पत्नी पर पेट्रोल डाला गया और उन्हें आग लगा दी गई। इन साक्ष्यों से स्पष्ट रूप से यह प्रकट होता है कि घटना घायल एवं मृतक के घर के द्वार (गेट) पर घटित हुई। तीन व्यक्तियों को जलने की चोटें आईं, जिनमें से एक की मृत्यु जलने की चोटों एवं उससे उत्पन्न जटिलताओं के कारण हो गई। यह कोई सामान्य घटना नहीं थी। पेट्रोल डालकर आग लगाना किसी भी स्थिति में सामान्य घटना नहीं कही जा सकती। यदि इस प्रकार की कोई घटना होती है तो स्वाभाविक रूप से व्यक्ति सर्वप्रथम स्वयं को बचाने का प्रयास करेगा, दौड़ेगा तथा आग बुझाने का प्रयास करेगा। इन परिस्थितियों में, घटना के स्थान एवं तरीके से संबंधित कुछ विसंगतियाँ, चूक अथवा विरोधाभास स्वाभाविक एवं सामान्य हैं। अतः केवल इन आधारों पर अभियोजन साक्ष्य को पूर्णतः अस्वीकार अथवा ख़ारिज नहीं किया जा सकता।

15.नायब तहसीलदार प्रणव सिंह (अभि. सा.-19) ने घटना के दूसरे दिन अर्थात 7.8.2006 को अपराह्न 1:20 बजे मृतक दशरथ का मृत्युकालीन कथन प्रदर्श पी/32 के माध्यम से अभिलिखित किया। अपने साक्ष्य के अनुसार, विवेचक के निर्देश पर वे डॉ. भीमराव अंबेडकर मेडिकल अस्पताल, रायपुर पहुँचे, जहाँ दशरथ को वार्ड क्रमांक 17, बेड क्रमांक 16 (बर्न यूनिट) में भर्ती किया गया था। उन्होंने डॉ. शरद गेरवाल से दशरथ की बयान देने की मानसिक एवं शारीरिक क्षमता के संबंध में प्रमाणपत्र प्राप्त किया, तत्पश्चात दशरथ का मृत्युकालीन कथन प्रदर्श पी/32 के माध्यम से दर्ज किया। उनके साक्ष्य के अनुसार, दो व्यक्तियों, नामतः दद्दू एवं गिरवर ने दशरथ को धमकाया तथा जब वह अपने घर में प्रवेश कर रहा था, उसी समय उन्होंने उसके, उसके पुत्र एवं पत्नी पर पेट्रोल डालकर आग लगा दीया गया। बचाव पक्ष द्वारा इस गवाह से विस्तृत प्रति परिक्षण की गई है। प्रति परिक्षण के दौरान उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि दशरथ बयान देने की पूर्णतया सक्षम मानसिक अवस्था में था तथा उन्होंने दशरथ द्वारा दिया गया कथन प्रदर्श पी/32 के माध्यम से अभिलिखित किया है।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

16. महेश (अभि. सा.-8) एवं गौतम बाई (अभि. सा.-9) आहत साक्षी हैं। बचाव पक्ष के गवाह भीखमचंद कुर्रे (ब. सा. -2) के साक्ष्य के अनुसार, उनका वर्तमान अपीलार्थीगण के साथ पूर्व वैमनस्य था। यह प्रतीत होता है कि महेश (अभि. सा.-8) एवं गौतम बाई (अभि. सा.-9), जो कि घायल हैं, रिश्तेदार गवाह भी हैं तथा उनके और अपीलार्थीगण के मध्य वैमनस्य हो सकता है, किंतु मात्र रिश्तेदारी अथवा संभावित वैमनस्य के आधार पर उनके साक्ष्य को अस्वीकार नहीं किया जा सकता। ऐसे साक्ष्य को स्वीकार करने से पूर्व केवल सूक्ष्म एवं सावधानीपूर्वक परीक्षण की आवश्यकता होती है।

17. रिश्तेदार, हितबद्ध तथा शत्रुतापूर्ण गवाहों के साक्ष्यात्मक मूल्य के प्रश्न पर विचार करते हुए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ***दलीप सिंह बनाम पंजाब राज्य***[1] के प्रकरण में यह प्रतिपादित किया है कि किसी गवाह को सामान्यतः स्वतंत्र माना जाना चाहिए, जब तक कि वह ऐसे स्रोत से न आता हो जो दूषित होने की संभावना रखता हो। उक्त निर्णय का अनुच्छेद 26 इस प्रकार है—

"26. किसी गवाह को सामान्यतः स्वतंत्र माना जाना चाहिए, जब तक कि वह ऐसे स्रोत से न आता हो जो दूषित होने की संभावना रखता हो; और इसका सामान्य अर्थ यह है कि जब

[1] (1954) 1 एस.सी.आर 145

तक गवाह के पास अभियुक्त के विरुद्ध कोई शत्रुता अथवा दुर्भावना न हो, जिससे वह उसे झूठा फँसाने की इच्छा रखता हो। सामान्यतः कोई निकट संबंधी वास्तविक अपराधी को बचाने और किसी निर्दोष व्यक्ति को झूठा फँसाने वाला अंतिम व्यक्ति होगा। यह सत्य है कि जब भावनाएँ तीव्र होती हैं और वैमनस्य का कोई व्यक्तिगत कारण होता है, तब कभी-कभी यह प्रवृत्ति हो सकती है कि गवाह अपने मन की रंजिश के कारण किसी निर्दोष व्यक्ति को भी अपराध में घसीट ले; किन्तु ऐसी आलोचना के लिए ठोस आधार होना आवश्यक है और मात्र रिश्तेदारी का तथ्य, इससे परे, प्रायः सत्यता की एक सुनिश्चित गारंटी होता है।"

18. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ***मोहब्बत एवं अन्य बनाम मध्यप्रदेश राज्य***[2] के प्रकरण में यह प्रतिपादित किया गया है कि मात्र रिश्तेदारी किसी गवाह की विश्वसनीयता को प्रभावित करने का आधार नहीं हो सकती। यदि झूठे फँसाने का आरोप लगाया जाता है, तो उसके समर्थन में ठोस आधार स्थापित करना आवश्यक है। उक्त निर्णय के पैरा 7 में निम्नानुसार कहा गया है—

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

"7. मात्र इस आधार पर कि प्रत्यक्षदर्शी गवाह परिवार के सदस्य हैं, उनके साक्ष्य को स्वतः अस्वीकार नहीं किया जा सकता। जब हितबद्धता का आरोप लगाया जाता है, तो उसे स्थापित किया जाना आवश्यक है। केवल यह कहना कि वे मृतक के रिश्तेदार हैं और इसलिए अभियुक्त को झूठा फँसाने की संभावना है, अपने आप में उस साक्ष्य को अस्वीकार करने का आधार नहीं हो सकता, जो अन्यथा सुसंगत एवं विश्वसनीय हो।

हम अभियोजन संस्करण को आगे बढ़ाने में गवाहों की हितबद्धता संबंधी आपत्ति पर भी विचार करेंगे। रिश्तेदारी किसी गवाह की विश्वसनीयता को प्रभावित करने का कारक नहीं है। अधिकतर मामलों में रिश्तेदार वास्तविक अपराधी को नहीं छिपाएंगे और किसी निर्दोष व्यक्ति के विरुद्ध आरोप नहीं लगाएंगे। यदि झूठे फँसाने का तर्क जाता है, तो उसके समर्थन में आधार प्रस्तुत किया जाना चाहिए। ऐसे मामलों में न्यायालय को सावधानीपूर्वक दृष्टिकोण अपनाना होता है तथा साक्ष्य का विश्लेषण कर यह पता लगाना होता है कि वह सुसंगत एवं विश्वसनीय है या नहीं।"

19. इसी प्रश्न पर विचार करते हुए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ***गुलीचंद एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य***[3] के प्रकरण में यह प्रतिपादित किया है कि मात्र यह तथ्य कि गवाह

[2] (2009) ए.आई.आर एस.सी.डब्लू 1486
[3] (1974) 3 एस.सी.सी 698

रिश्तेदार है अथवा उसका किसी पक्ष से संबंध है, उसके साक्ष्य को अस्वीकार करने हेतु पर्याप्त आधार नहीं है।

20. इसी प्रश्न पर विचार करते हुए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने के ***शरद बिर्दीचंद शारदा बनाम महाराष्ट्र राज्य***[4] प्रकरण में यह निर्णय दिया है कि मृतक से निकट संबंध एवं स्नेह के कारण, मृतक से संबंधित कोई भी व्यक्ति स्वाभाविक रूप से तथ्यों को बढ़ा-चढ़ाकर प्रस्तुत करने अथवा ऐसे तथ्य जोड़ने की प्रवृत्ति रख सकता है, जिन्हें उसने प्रत्यक्ष रूप से देखा या सुना न हो। यह आवश्यक नहीं है कि ऐसा कार्य वह व्यक्ति सचेत रूप से करे, बल्कि अनजाने में भी मृतक के प्रति प्रेम एवं लगाव के कारण कथित हत्यारे के प्रति मनोवैज्ञानिक घृणा उत्पन्न हो सकती है। अतः न्यायालय को ऐसे साक्ष्य की अत्यंत सावधानी एवं सतर्कता के साथ जांच करनी चाहिए। उक्त निर्णय का पैरा 48 इस प्रकार है—

"48. साक्षियों के साक्ष्य पर चर्चा करने से पूर्व, हम उन परिस्थितियों की पृष्ठभूमि में कुछ प्रारंभिक टिप्पणियाँ करना उचित समझते हैं, जिनके संदर्भ में मौखिक कथनों पर विचार किया जाना है। जिन सभी व्यक्तियों द्वारा यह कहा गया है कि मानजू से अंतिम बार भेंट के समय उन्होंने उक्त कथन दिए थे, वे सभी मृतक के निकट संबंधी एवं मित्र हैं। निकट संबंध एवं स्नेह को देखते हुए, ऐसे साक्षियों की स्थिति में कोई भी व्यक्ति स्वाभाविक रूप से तथ्यों को बढ़ा-चढ़ाकर प्रस्तुत करने अथवा ऐसे तथ्य जोड़ने की प्रवृत्ति रख सकता है, जिन्हें वास्तव में उसने देखा या सुना न हो। यह आवश्यक नहीं है कि ऐसा वह व्यक्ति सचेत रूप से करे, बल्कि अनजाने में भी मृतक के प्रति प्रेम एवं लगाव कथित हत्यारे के प्रति मनोवैज्ञानिक घृणा उत्पन्न कर सकता है। अतः न्यायालय को ऐसे साक्ष्य की अत्यंत सावधानी एवं सतर्कता के साथ परीक्षा करनी चाहिए।

यहाँ तक कि यदि साक्षी सत्य का कोई अंश अथवा संपूर्ण सत्य भी बोल रहे हों, तब भी यह संभव है कि वे अभियुक्त के प्रति प्रतिशोध अथवा वैमनस्य की भावना से प्रेरित हों और इस प्रक्रिया में कुछ ऐसे तथ्य, जो उन्होंने देखे न हों अथवा घटित ही न हुए हों, अपराधी को दंडित करवाने की मंशा से अनजाने में कल्पित कर प्रस्तुत कर दिए गए हों। यह मानवीय मनोविज्ञान है।"

21. यह निस्संदेह है कि महेश (अभि. सा.-8) एवं गौतम बाई (अभि. सा.-9) घायल साक्षी हैं तथा जिन्हें पेट्रोल के प्रयोग से जलने से चोटें प्राप्त की हैं, जिसकी पुष्टि

[4] ए.आई.आर 1984 एस.सी 1622

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

ओमप्रकाश यादव (ब. सा. -1) एवं भीकमचंद कुर्रे (ब. सा. -2) के साक्ष्य से होती है। यह मामला ऐसा नहीं है कि उन्होंने स्वयं को आग लगाई हो। महेश (अभि. सा.-8) ने स्पष्ट रूप से बयान दिया है कि रामाधर अन्य अभियुक्तों को पेट्रोल डालकर उन्हें आग लगाने का निर्देश दे रहा था, तत्पश्चात उन्होंने पेट्रोल डालकर उन्हें आग लगा दी। गौतम बाई (अभि. सा.-9) ने भी इसी आशय का बयान दिया है। महेश (अभि. सा.-8) एवं गौतम बाई (अभि. सा.-9) के साक्ष्य से यह प्रकट होता है कि अभियुक्त ओमप्रकाश एवं गिरवर ने अपीलकर्ता रामाधर के निर्देश पर पेट्रोल डालकर उन्हें आग लगाई थी। यह भी स्पष्ट है कि अपीलकर्ता रामाधर ने स्वयं व्यक्तिगत रूप से पेट्रोल नहीं डाला और न ही आग लगाई|

22. नायब तहसीलदार प्रणव सिंह (अभि. सा.-19) के साक्ष्य एवं मृत्युपूर्व कथन प्रदर्श पी./32 के अनुसार, दद्दू एवं गिरवर दशरथ के पास आए, उन्होंने उसे धमकाया तथा उस पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। मृत्युपूर्व कथन प्रदर्श पी./32 में दशरथ ने केवल दो व्यक्तियों, अर्थात् दद्दू एवं गिरवर के नाम का उल्लेख किया है। प्रथम सुचना रिपोर्ट. प्रदर्श पी./10 के अनुसार दद्दू उर्फ ओमप्रकाश के पास पेट्रोल से भरी प्लास्टिक की बोतल थी तथा रामाधर घटना स्थल के पास खड़ा था और रामाधर मोटरसाइकिल पकड़े हुए था। महेश (अभि. सा.-8) एवं गौतम बाई (अभि. सा.-9) के साक्ष्य, मृत्युपूर्व कथन प्रदर्श पी./32 तथा प्रथम सुचना रिपोर्ट. प्रदर्श पी./10 के सूक्ष्म परीक्षण से यह स्पष्ट रूप से प्रकट होता है कि यद्यपि अपीलकर्ता रामाधर घटना स्थल के निकट खड़ा था, परंतु उसने कोई प्रत्यक्ष कृत्य नहीं किया। प्रथम सुचना रिपोर्ट. प्रदर्श पी./10 तथा मृत्युपूर्व कथन प्रदर्श पी./32 के अनुसार, अपीलकर्ता दद्दू उर्फ ओमप्रकाश एवं गिरवर ने ही उक्त घटना को कारित किया है। महेश (अभि. सा.-8) एवं गौतम बाई (अभि. सा.-9) के शरीर पर पाई गई जलने की चोटें साधारण प्रकृति की थीं, किंतु किसी व्यक्ति पर पेट्रोल डालकर उसे आग लगाना स्वयं में हत्या के प्रयास का कृत्य है।

23. महेश (अभि. सा.-8) एवं गौतम बाई (अभि. सा.-9) के साक्ष्य, जिन्हें ओमप्रकाश यादव (प्रति. सा..-1) एवं भीकमचंद कुर्रे (प्रति. सा..-2) के साक्ष्य से पर्याप्त रूप से पुष्टि प्राप्त होती है तथा जिन्हें नायब तहसीलदार प्रणव सिंह (अभि. सा.-19), मृत्युपूर्व कथन प्रदर्श पी./32 एवं प्रथम सुचना रिपोर्ट. प्रदर्श पी./10 से भी समर्थन प्राप्त है, यह स्थापित करने के लिए पर्याप्त हैं कि अपीलकर्ता दद्दू Sउर्फ ओमप्रकाश एवं गिरवर ने सामान्य

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

आशय से दशरथ की हत्या कारित की है तथा महेश (अभि. सा.-8) एवं गौतम बाई (अभि. सा.-9) की हत्या करने का प्रयास भी किया है।

24. अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों का सम्यक् मूल्यांकन करने के उपरांत, विद्वान विचारण न्यायालय ने अपीलकर्ता ओमप्रकाश एवं गिरवर को दोषसिद्ध करते हुए उन्हें दंडित करना विधिसम्मत रूप से किया है, किंतु अपीलकर्ता रामाधर को दोषसिद्ध एवं दंडित करते समय विचारण न्यायालय ने अपीलकर्ता रामाधर के विरुद्ध उपलब्ध साक्ष्यों की पर्याप्तता तथा उसके द्वारा किसी प्रत्यक्ष कृत्य के अभाव पर विचार नहीं किया। विचारण न्यायालय ने इस तथ्य पर भी विचार नहीं किया कि घटना स्थल के समीप मात्र किसी व्यक्ति की उपस्थिति मात्र से उसे अपराध के घटित होने से जोड़ना पर्याप्त नहीं है, और इस प्रकार अपीलकर्ता रामाधर की दोषसिद्धि एवं दंडादेश विधि के विरुद्ध तथा अवैध रूप से किया गया है।

25. उपर्युक्त कारणों के आधार पर यह अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 एवं 307/34 के अंतर्गत अपीलकर्ता रामाधर की दोषसिद्धि एवं दंडादेश को एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है। उसे तत्काल मुक्त किया जाए, यदि वह किसी अन्य प्रकरण में अपेक्षित न हो। तथापि, भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 एवं 307/34 के अंतर्गत अपीलकर्ता ओमप्रकाश एवं गिरवर की दोषसिद्धि एवं दंडादेश यथावत् बनाए रखे जाते हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

हस्ताक्षरित	**हस्ताक्षरित**
टी. पी. शर्मा	**आर. एन. चंद्राकर**
न्यायाधीश	**न्यायाधीश**

अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुप्रकरण पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी|

TRANSLATED BY RAKSHITA MISHRA

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur